पत्र सं0– सी/जी0बी0–5703/2015............/

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

पटना, दिनांक–..................................

विषयः– जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–271, दिनांक 06.08.2015 द्वारा प्राप्त अधियाचना एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–...2685...., दिनांक ...16:03:16 के आलोक में कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजनान्तर्गत पूर्व से ली गई एवं अपूर्ण योजनाओं के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, मुंगेर को कुल ₹60.00 लाख (साठ लाख) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजनान्तर्गत पूर्व से ली गई एवं अपूर्ण योजनाओं के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–...2685...., दिनांक ...16:03-16.... के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुंगेर को कुल ₹60.00 लाख (साठ लाख) रू0 मात्र राशि का आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस राशि को पूर्व से कब्रिस्तानों की घेराबंदी की शुरू की गई एवं अपूर्ण योजना के शेष कार्य को पूर्ण कराने पर व्यय किया जाएगा।

3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–60 अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघुशीर्ष–051–निर्माण उपशीर्ष–0101 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु मांग सं0–22, प्राथमिक ईकाई संख्या–53–01 मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्य योजना स्कीम–**HOM-5425** एवं विपत्र कोड संख्या–पी0–4235600510101 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

4. यह राशि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित योजना उद्व्यय के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

6. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, मुंगेर होगें वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं0-4989 दिनांक 16.05.2013 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के पत्रांक-448, दिनांक 26.03.2003 के अनुसार इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

9. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं0-2561, दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन किया जायेगा।

10. जिला पदाधिकारी, मुंगेर स्वीकृत राशि से संबंधित व्यय विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्त्तमान वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरंत बाद भेजना सुनिश्चित करेंगे।

11. जिला पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि को सी0टी0आई0एम0एस0 में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

12. आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

Sec:c:ch:Drafts part 3

कृ0पृ0उ0....2

निबंधित
फैक्स

ज्ञापांकः- ....   पटना,दिनांक - ....
प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, मुंगेर /प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर/ जिला कोषागार, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- ....   पटना,दिनांक - ....
प्रतिलिपिः- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- ....   पटना,दिनांक - ....
प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- 2690   पटना,दिनांक - 16/03/16
प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra
16.03.16
सरकार के विशेष सचिव।